Ph. : +91-11-27662226 Email : sfusduad@gmail.com

स्लावी एवं फिन्नो-उग्रियाई अध्ययन विभाग
प्रथम तल ट्यूटोरियल बिल्डिंग कॉम्पलेक्स
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007 भारत

डॉ. नीलाक्षी सूर्यानारायण
अध्यक्षा

Department of Slavonic & Finno-Ugrian Studies
Ist Floor, Tutorial Building Complex,
University of Delhi, Delhi - 110007 India

Dr. Neelakshi Suryanarayan
Head

Ref. No.: SFUS/2018-19/ 4087

dt.: 10.01.2019

NOTICE

The Directorate of Higher Education, NCT Govt. of Delhi is launching scholarship schemes of Govt. of NCT Delhi through the Department for the Welfare of SC/ST/OBC/Minorities for the financial year 2018-19 on E-district Portal **www.edistrict.delhigovt.nic.in**

This is applicable for the SC/ST/OBC/Minority students of Delhi studying in colleges/departments.

Details of this schemes are given in the website **www.scstwelfare.delhigovt.nic.in**

Please see notice below.

Dr. Neelakshi Suryanarayan
Head of Department

अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री, दिल्ली

दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र

छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

www.edistrict.delhigovt.nic.in

योजना की आरंभ तिथि : 01 दिसंबर 2018
आवेदन की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2019

दिल्ली के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों से वर्ष 2018-19 के लिए निम्नलिखित छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए ऑन-लाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते है:-

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को स्टेशनरी (लेखन सामग्री) खरीदने के लिए वित्तीय सहायता।
2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों (कक्षा 1 से 12) को छात्रवृत्ति/योग्यता छात्रवृत्ति।
3. कॉलेज और व्यावसायिक संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति।
4. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों को ट्यूशन फीस की अदायगी।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप योजना।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।
7. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व स्कॉलरशिप योजना।
8. अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-परवर्ती स्कॉलरशिप योजना।

सभी शैक्षिक संस्थानों से अनुरोध है कि वे विद्यार्थियों को उनकी योग्यतानुसार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मार्गदर्शन करने में अपना पूरा सहयोग दें और छात्रवृत्ति योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुसार साथ-साथ अनके आवेदन पत्रों का सत्यापन भी करें। वे यह भी सुनिश्चित करें कि सभी पात्र छात्र अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें।

योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी, ऑन-लाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया तथा आवेदन पत्रों की संबंधित शिक्षा संस्थानों द्वारा सत्यापित करने की विस्तृत जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट **www.scstwelfare.delhigovt.nic.in** पर लॉग-ऑन करें।

– राजेन्द्र पाल गोतम
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री, दिल्ली

दिल्ली सरकार
आप की सरकार

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
बी-ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली-110002

दिल्ली सरकार
आप की सरकार